



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2009/कार्तिक 14, 1931

No. 333]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2009/KARTIKA 14, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2009

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम ट्राइपॉली फॉस्फेट (एसटीपीपी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

सं. 14/25/2009-डीजीएडी.—यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथासंभव सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम ट्राइपॉली फॉस्फेट (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन का आरोप लगाया है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण हेतु पाटनरोधी जांच की शुरुआत हेतु अनुरोध किया है ।

विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

2. विचाराधीन उत्पाद "सोडियम ट्राइपॉली फॉस्फेट (एसटीपीपी)" जिसका रासायनिक सूत्र $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ है । यह सोडियम अथवा ट्राई फोस्फोरिक अम्ल के सोडियम लवण का पॉलीफॉस्फेट है । मुख्यतः एसटीपीपी के दो वर्ग होते हैं अर्थात् तकनीकी वर्ग और खाद्य वर्ग । एसटीपीपी के विभिन्न तकनीकी वर्ग हैं—सामान्य, मध्यम तापमान वाले, उच्च तापमान वाले, रवेदार तथा जलयोजित । एसटीपीपी एक ठोस अकार्बनिक मिश्रण है जिसका व्यापक प्रयोग घरेलू स्वच्छता संबंधी उत्पादों में मुख्यतः बिल्टर के रूप में किया जाता है लेकिन साथ ही इसका प्रयोग मनुष्यों के खाद्य पदार्थों, पशु-चारे, औद्योगिक स्वच्छता प्रक्रियाओं तथा सिरेमिक्स के विनिर्माण में भी किया जाता है । विचाराधीन उत्पाद सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के उप-शीर्ष 2835.3100 के अंतर्गत वर्गीकृत है तथापि यह सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांचों पर बाध्यकारी नहीं है । वर्तमान जांच में एसटीपीपी के सभी वर्ग तथा प्रकार शामिल हैं ।

घरेलू उद्योग तथा उसका भत

3. यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मै. टाटा कैमिकल्स लि., मुंबई द्वारा दायर की गई है । आवेदक ने जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ क्षति तथा लागत निर्धारण संबंधी सूचना प्रस्तुत की है । रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन में अपने समर्थकों सहित याचिकाकर्ता का उत्पादन एक प्रमुख हिस्सा बनता है । अतः यह याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) की सभी शर्तों को पूरा करती है ।

शामिल देश

4. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है ।

समान वस्तु

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है । दोनों उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के साथ तुलनीय हैं । ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इनकी विशेषताएं एक-दूसरे के समान हैं । इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के “ समान वस्तु ” माना जा रहा है ।

सामान्य मूल्य

6. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुरूप अनुबंध I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाना चाहिए । आवेदक ने निवेदन किया है कि चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में वे पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं कर सके हैं । अतः आवेदक ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों एवं लाभ सहित उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

निर्यात कीमत

7. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का आकलन गौण स्रोतों से प्राप्त सौदा-वार आंकड़ों के आधार पर किया गया है । कारखाना द्वार निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन व्यय तथा बैंक कमीशन का समायोजन किया गया है ।

पाटन मार्जिन

8. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जिससे संबद्ध देशों के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन का पता चलता है । इस बात का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. आवेदक ने संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा तथा मूल्य और घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है जिसके विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि चीन जन. गण. से हुए आयातों में सापेक्ष रूप से और भारत में वस्तु के उत्पादन तथा खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक मानदंडों से यह पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान सापेक्ष रूप से क्षति में वृद्धि हुई और उत्पादन, बिक्री, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह में गिरावट आई। मूल वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई जो अब भी काफी निम्न स्तर पर है और प्रथम दृष्ट्या इस बात का प्रमाण है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का सामना करना पड़ा है।

पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

10. उपर्युक्त जाँच के मद्देनजर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं और इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार किसी भी कथित पाटन की मौजूदगी, सीमा तथा प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, कथित पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में एतद्वारा जाँच शुरू करते हैं।

जाँच की अवधि (पीओआई)

11. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक (12 महीने) की है तथापि, क्षति संबंधी जाँच के लिए अवधि में 2005-06, 06-07, 07-08 और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

भूतलक्षी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाना

12. याचिकाकर्ता ने धारा 9क(3) के अनुसार इस आधार पर शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया है कि पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति काफी पहले से हो रही है। यह भी सूचित किया गया है कि अपेक्षाकृत अल्पावधि में आयात की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी काफी गिरावट आई है जो निविष्टि लागतों में आई गिरावट के अनुपात में नहीं है। हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध समझे जाने वाले आयातकों और घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है

ताकि वे निर्धारित विधि और पद्धति से संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर भेज सकें : -

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली- 110107

कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी जांच संबंधी अपना अनुरोध नीचे दी गई निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत कर सकता है।

समय सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें सम्बोधित पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा में विस्तार हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

15. नियमावली के नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश तथा उसकी गोपनीयता का अनुरोध करने के कारण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अगोपनीय रूपांतरण अथवा गोपनीय सूचना के अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरे होने चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सूचना की सार्थक समझ उपलब्ध करायी जा सके। यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त पैरा में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसका सामान्यीकृत रूप में या सारांश रूप में प्रकटन करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है तो ऐसी सूचना की अनदेखी की जा सकती है।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

16. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय स्मांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

“उपलब्ध तथ्यों” का उपयोग

17. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना जुटाने से इनकार करता है, अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2009

Sub: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Sodium Tripoly Phosphate (STPP) originating in or exported from China PR.

No. 14/25/2009-DGAD.—Whereas M/s Tata Chemicals Ltd (TCL), Mumbai (herein after referred to as applicant) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of Sodium Tripoly Phosphate (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from China PR, (hereinafter referred to as “subject country”) and requested for initiation of Anti-Dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under consideration is “Sodium Tripoly Phosphate” (STPP), having chemical formula $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$. It is a polyphosphate of sodium or sodium salt of triphosphoric acid. Broadly there are two grades of STPP viz., Technical Grade and Food Grade. There are various technical grades of STPP – Regular, Medium Temperature Rise, High Temperature Rise, Granular and Hydrated. STPP is a solid inorganic compound used in a large variety of household cleaning products, mainly as a builder, but also in human foodstuffs, animal feeds, industrial cleaning processes and ceramics manufacture. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act,

4027 G/09-2.

1975 under subheading 2835.3100. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the present investigation. The present investigation covers all grades and types of STPP.

DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

3. The Application has been filed by M/s Tata Chemicals Ltd., Mumbai on behalf of the domestic industry. The applicant has provided injury and costing information for the purpose of initiation of investigation. As per the evidence available on record, production of applicant along with supporter accounts for a major proportion of the total domestic production. Petition thus satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of Anti Dumping Rules.

COUNTRY INVOLVED

4. The country involved in the present investigation is China PR.

LIKE ARTICLE

5. Applicant has claimed that there is no significant difference in the Sodium Tripoly Phosphate produced by the domestic industry and exported from subject country. Both products are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both the products are technically and commercially substitutable and hold closely resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. Therefore, for the purpose of present investigation, subject goods produced by the applicant are being treated as "Like Article" to the subject goods imported from subject country within the meaning of the Anti Dumping Rules.

NORMAL VALUE

6. The applicant has claimed that China PR should be treated as Non Market Economy and therefore the Normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I of the Anti-Dumping Rules. The applicant has submitted that they have not been able to get the sufficient information regarding market economy third country for determination of Normal value in case of China PR. Thus, the applicant has claimed the Normal value on the basis of constructed cost of production, including selling, general and administrative expenses and profits.

EXPORT PRICE

7. Export price of the subject goods from the subject country has been estimated by considering transaction-wise import data collected from Secondary Sources. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, port expenses and bank commission to arrive at ex-factory export price.

DUMPING MARGIN

8. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in China PR is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above *de minimis*.

INJURY AND CAUSAL LINK

9. The applicant has furnished information regarding volume and value of dumped imports from the subject country and various parameters relating to material injury to the domestic industry, analysis of which shows that imports from China PR have significantly increased in absolute terms as also in relation to production and consumption in India. Various economic parameters relating to the domestic industry shows that loss in absolute term increased during the injury period and production, sales, return on investment and cash flow declined over the injury period. Capacity utilization decreased during POI in comparison to base year and the same remains at very low level signifying, prima facie, that domestic industry has suffered material injury from dumped imports.

INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

10. In view of the above the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist and therefore the Authority, in terms of Rule 5 of the Anti Dumping Rules hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and recommend the amount of anti dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2008 to 31st March 2009 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2005-06, 2006-07 and 2007-08 and the POI.

RETROSPECTIVE IMPOSITION OF DUTY

12. Applicant under Section 9A(3) has requested for imposition of anti-dumping duties on retrospective basis on the ground that there is history of dumping and injury to the domestic industry. It has also been stated that there is massive decline in import prices in a relatively short period and there is massive decline in selling price of the domestic industry disproportionate to decline in input costs. The interested parties may make their submissions in this regard.

SUBMISSION OF INFORMATION

13. The known exporters in the subject country, Government through the Embassy, importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

**The Designated Authority
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Room No. 240, Udyog Bhawan,
New Delhi – 110107.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

14. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

15. In terms of Rule 7 of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority along with the reasons for claiming confidentiality. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information either unwilling to make the information public or to

authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

16. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

USE OF 'FACTS AVAILABLE'

17. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority

4027G/09-3